

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी: राजकुमार कस्वा, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 03/2021, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. गैर सायल धर्मसिंह पुत्र श्री जगनलाल जाति जाटव उम्र 30 वर्ष निवासी विराना थाना महवा जिला दौसा ।

(कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975)

उपस्थिति : लोक अभियोजक – राजकीय अधिवक्ता उपस्थित ।

: गैर सायल बहस के दौरान उपस्थित ।

–: निर्णय :-

दिनांक:- 13.10.2023

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना महवा जिला दौसा की ओर से पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा संक्षिप्त वाक्यात इस प्रकार से है कि गैर सायल धर्मसिंह पुत्र श्री जगनलाल जाति जाटव निवासी विराना थाना महवा जिला दौसा के विरुद्ध निम्नानुसार मुकदमे दर्ज होकर चालान अदालत में पेश हुआ है तथा अदालत से सजा एवं जुर्माना हुआ है। गैर सायल के विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	मुकदमा संख्या	तारीख रजू	धारा	चार्जशीट सं.	दिनांक	निर्णय अदालत
1.	524/19	21.09.2019	13 RPGO	286/19	24.09.2019	सजा 200/- अर्थदंड दिनांक 25.09.2019
2.	705/19	18.12.2019	13 RPGO	382/19	21.12.2019	सजा 200/- अर्थदंड दिनांक 23.12.2019
3.	261/20	17.05.2020	13 RPGO	89/20	30.05.2020	सजा 200/- अर्थदंड दिनांक 08.07.2020

उक्त शख्स धर्मसिंह पुत्र श्री जगनलाल जाति जाटव निवासी विराना थाना महवा जिला दौसा का रहने वाला है। जो कि जुआं खेलने का आदि है तथा अन्य लोगो को भी जुआं खेलने के लिये प्रेरित करता है। वर्तमान में भी इसकी आपराधिक गतिविधियां निर्बाध रूप से जारी है। जिससे गैर सायल के विरुद्ध आमजन शिकायत करने से भी डरते है। उक्त गैर सायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) के अन्तर्गत यह इस्तगासा पेश कर उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासन की कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है। जिससे आम नागरिको को गैर सायल द्वारा किये जा रहे अपराधो के कारण हो रही परेशानी से राहत मिल सके।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर सायल बहस के दौरान स्वयं उपस्थित हुआ। लोक अभियोजक एवं गैर सायल की बहस सुनी गई।

लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की गैर सायल अपराधी के विरुद्ध थाना महवा में तीन आपराधिक प्रकरण धारा 13 RPGO के तहत दर्ज किये गये है। जिनमें गैर सायल को सभी मुकदमों में सजायाब किया जाकर अर्थदंड से दण्डित किया गया है। गैर सायल धर्मसिंह पुत्र श्री जगनलाल जाति जाटव निवासी विराना थाना महवा जिला दौसा आदतन जुआं खेलने का आदि है तथा रूपये पैसो का दंड लेकर सार्वजनिक स्थान पर जुआं/सट्टेबाजी करता हुआ कई बार पकडा गया है। उक्त अपराध एक ऐसा अपराध है जिसने समाज के नवयुवक वर्ग को खोखला कर दिया है। गैर सायल को बार-बार सट्टे की खाईवाली करते एवं जुआं खेलते हुये गिरफ्तार करने एवं उसके विरुद्ध चालान न्यायालय में पेश करने एवं माननीय न्यायालय द्वारा उसे दोषी करार कर अर्थदंड से दण्डित करने के बावजूद भी वह अपनी

हरकतो व आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगा रहा है। आम नागरिक उसके विरुद्ध न तो साक्ष्य देना चाहता है और ना ही उसके भय के कारण स्वतंत्र रूप से शिकायत उच्चाधिकारियों को दे पा रहा है। वर्तमान में जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं आगामी विधानसभा आम चुनाव को मध्यनजर रखते हुये आमजन को जुआ-सट्टे के अपराध के दुष्प्रेरण से बचाने एवं समाज के नवयुवक वर्ग को जुआ सट्टे की लत से बचाने के लिये ऐसे आदतन अपराधी के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा एक्ट 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे अपराधी समाज के माहौल को खराब नहीं कर सके एवं समाज में शांति एवं सद्भावना बनी रहे।

गैर सायल द्वारा स्वयं उपस्थित होकर बहस के दौरान निवेदन किया कि गैर सायल के विरुद्ध जो तीन मुकदमे दर्ज किये गये है। वह मुकदमे काफी पुराने है एवं उक्त मुकदमों में गैर सायल को जुमाने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है। गैर सायल के विरुद्ध दर्ज मुकदमे आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं है। मात्र 13 RAGO के ही मुकदमे दर्ज हैं जो कि आपराधिक श्रेणी के मुकदमों में नहीं आते है। गैर सायल एक मजदूरी पेशा व्यक्ति है। जो मेहनत मजदूरी करके अपना एवं अपने परिवार का जीवनयापन कर रहा है। गैर सायल किसी गम्भीर आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त नहीं रहा है। अतः गैर सायल के विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगासा निरस्त फरमाते हुये गुण्डा एक्ट में की जाने वाली कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे।

लोक अभियोजक एवं गैर सायल की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि थाना अधिकारी महवा द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा में गैर सायल अपराधी के विरुद्ध तीन मुकदमे दर्ज हुये है। जिसमे गैर सायल सजायाब हो चुका है। पुलिस अधीक्षक दौसा द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार गैर सायल धर्मसिंह पुत्र श्री जगनलाल जाति जाटव निवासी विराना थाना महवा जिला दौसा जुआ सट्टा खेलकर आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होने के कारण उक्त अधिनियम के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। वर्तमान में जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति एवं आगामी विधानसभा आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए तथा आमजन को जुआ-सट्टे के अपराध के दुष्प्रेरण से बचाने एवं युवाओं को जुआ सट्टे की लत से बचाने के लिये ऐसे आदतन अपराधी के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा एक्ट 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त विवेचनानुसार गैर सायल धर्मसिंह पुत्र श्री जगनलाल जाति जाटव निवासी विराना थाना महवा जिला दौसा को दिनांक 15.10.2023 से 30(तीस) दिवस की समयावधि के लिए दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि गैर सायल बस्सी जिला जयपुर के रास्ते होते हुये थाना कानोता जिला जयपुर पहुंचेगा तथा अपनी उपस्थिति थानाधिकारी थाना कानोता जिला जयपुर को दर्ज करवाएगा। निष्कासित समयावधि में गैर सायल थाना क्षेत्र कानोता जिला जयपुर में निवास करते हुए प्रत्येक रविवार को थानाधिकारी थाना कानोता जिला जयपुर के समक्ष अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक दौसा, पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व) एवं थानाधिकारी कानोता को पालना हेतु आदेश की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट लेख भण्डार की जावे।



(राजकुमार कस्वा)

अति. जिला मजिस्ट्रेट ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 13.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजकुमार कस्वा)

अति. जिला मजिस्ट्रेट ,दौसा